mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/नगद भुगतान/369/2024/ 1231 भोपाल, दिनांक 21/03/2025

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय _____ (समस्त)

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
_____ जिला _____ (समस्त)

विषय - कृषकों को उनकी कृषि उपज का पूर्ण एवं त्वरित भुगतान करने के संबंध में।

संदर्भ -(1). कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नियमन/भुगतान/369/2084, दिनांक 13.12.2022।
(2). कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/नगद भुगतान/369/II पार्ट/2024/107, दिनांक 20.05.2024।

कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के मूल्य का पूर्ण एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराना कृषि उपज मंडियों की स्थापना के उद्देश्य में सम्मिलित है। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 17(2)(सात), धारा 17(2)(तेरह)(क), धारा 37(2) तथा मंडी समितियों के लिए उपविधि 2000 अंतर्गत उपविधि कंडिका 17(4), कंडिका 17(5) में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित है।

2. इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न पत्रों के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसी संबंध में संदर्भित पत्रों से जारी निर्देशों का भी अवलोकन करें।

3. विक्रेता कृषकों के हित में अधिनियम/ उपविधि के स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कृषक भुगतान व्यतिक्रम के प्रकरण लगातार निर्मित हो रहे हैं। इन प्रकरणों के निर्मित होने का यह प्रमुख कारण संज्ञान में लाया गया है कि कृषकों के द्वारा, अधिनियम/ नियम/ उपविधि में उसी दिन भुगतान के प्रावधानों के होते हुए भी, स्थानीय व्यवस्था/ परंपरा/ कुरीति अनुसार उच्च भाव की आकांक्षा में उधार पर कृषि उपज विक्रय की जा रही है। यह भी संज्ञान में लाया गया है कि कृषकों को नगद एवं तत्काल भुगतान में एवं

उधार भुगतान में पृथक-पृथक मूल्य (उधार की स्थिति में अधिक मूल्य) का विकल्प/ प्रलोभन क्रेता व्यापारी के द्वारा दिया जा रहा है और मंडी समिति के कर्मचारीवृंद की इसमें मौन सहमति है। जबकि मंडी समिति का दायित्व है कि मंडियों में स्थानीय व्यवस्था/ परंपरा/ कुरीति अनुसार उधार का ऐसा कोई भी व्यापार नहीं हो अपितु समस्त व्यापार अधिनियम/ नियम/ उपविधि के प्रावधानों के अनुसार ही हो।

4. कृषि उपज मंडियों में कृषकों के साथ भुगतान व्यतिक्रम के प्रकरण न हो, इसके लिए निम्नानुसार निवारक उपायों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए -

4.1. भुगतान पत्रकों की मंडी कार्यालय में प्राप्ति एवं सत्यापन के संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक (2) से जारी निर्देशों का शब्दशः पालन किया जाए।

4.2. कृषकों को, अधिनियम/ नियम/ उपविधि के उसी दिन भुगतान के प्रावधानों से अवगत कराया जाए। ये प्रावधान कृषक हित में ही बनाए गए है।

4.3. कृषकों को जागरूक किया जाए कि - "किसी भी क्रेता व्यापारी को उधार में अपनी कृषि उपज का विक्रय नहीं करें, यदि कोई क्रेता व्यापारी उधार में कृषि उपज विक्रय हेतु विवश करता है तो मंडी समिति के कार्यालय में तत्काल उसकी शिकायत करें"।

4.4. कृषकों को भुगतान प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान पत्रक पर हस्ताक्षर करने के अपने अधिकार से अवगत कराया जाए। कृषकों को जागरूक किया जाए कि - "यदि कोई क्रेता व्यापारी भुगतान किए बगैर भुगतान पत्रक पर हस्ताक्षर करने हेतु विवश करता है तो मंडी समिति के कार्यालय में तत्काल उसकी शिकायत करें"।

4.5. अधिनियम/ नियम/ उपविधि में उल्लेखित कृषक भुगतान के प्रावधानों का कृषि उपज मंडियों में दीवार लेखन, नोटिस बोर्ड, पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, SMS/ WhatsApp संदेश आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इस संबंध में ग्राम पंचायतों, स्थानीय कृषक संगठनों के स्तर पर भी कृषकों से लगातार संपर्क स्थापित किया जाए।

4.6. व्यापारियों को भी अधिनियम/ नियम/ उपविधि में उल्लेखित कृषक भुगतान के प्रावधानों का पालन करने हेतु पाबंद किया जाए। इनके अपालन की स्थिति में कार्यवाही के संबंध में भी अधिनियम/ नियम/ उपविधि एवं पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान है, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाए।

4.7. व्यापारियों के द्वारा प्रतिभूति से अधिक क्रय किए जाने की स्थिति में विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा ऐसी स्थिति में कृषक भुगतान सुनिश्चित हो जाने पर ही कृषि उपज निकासी की अनुमति दी जाए।

4.8. ऐसे व्यापारियों पर भी विशेष निगरानी रखी जाए जिनके संबंध में भुगतान संबंधी

शिकायतें प्राप्त हुई है / होती रहती है।

5. आंचलिक कार्यालयों के स्तर से भी अधीनस्थ मंडियों में कृषक भुगतान की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए। आंचलिक अधिकारी तथा संभागीय निरीक्षण दल के द्वारा मंडियों में भ्रमण/ निरीक्षण के दौरान, भुगतान व्यवस्था का भी रैंडम तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

6. उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए जिससे कृषक भुगतान व्यतिक्रम प्रकरणों के निर्मित होने पर रोक लगाई जा सकें। कृषक भुगतान व्यतिक्रम प्रकरणों की रोकथाम का मंडी सचिव के साथ ही आंचलिक अधिकारी का भी संयुक्त दायित्व है। कृषक भुगतान में व्यतिक्रम प्रकाश में आने पर मंडी सचिव के साथ ही आंचलिक अधिकारी पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्तानुसार निर्देशों का शब्दशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

(कुमार पुरुषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/नगद भुगतान/369/2024/1232 **भोपाल, दिनांक** 21/03/2025

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
2. सचिव, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
3. कलेक्टर, जिला..... (समस्त)।
4. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त), म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. चीफ प्रोग्रामर, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल। व्यापारियों की जमा प्रतिभूति राशि का विवरण तथा कृषकों को भेजे गए SMS का रिप्लाई/ कंफर्मेशन प्राप्त होने/ नहीं होने की स्थिति, भुगतान पत्रक सत्यापन स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

mail

(1)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नियमन/भुगतान/369/ 2084 भोपाल दिनांक 13/12/2022

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.....जिला.....(समस्त)

विषयः- कृषकों को कृषि उपज के पूर्ण एवं त्वरित भुगतान के संबंध में।

संदर्भः- (1) मंडी बोर्ड मुख्यालय के पत्र क्रमांक/बी-6/नि/उपविधि/1-3/531 दि. 05/06/2017, (2) पत्र क्रमांक/बी-6/नि/भुगतान/369/1414 दिनांक 23/09/2017, (3) पत्र क्रमांक 1479 दिनांक 11/10/2017, (4) पत्र क्रमांक 1620 दिनांक 07/11/2017, (5) पत्र क्रमांक 1830 दिनांक 09/04/2018, (6) पत्र क्रमांक 1834 दिनांक 10/04/2018 (7) पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 03/04/2019, (8) पत्र क्रमांक 1894 दिनांक 15/05/2019 (9)पत्र क्रमांक 1957 दिनांक 29/05/2019 एवं (10) पत्र क्रमांक 2574 दिनांक 30/08/2019

संदर्भित समस्त पत्रों का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न है) जिनके द्वारा समय-समय पर कृषकों को कृषि उपज के विक्रय मूल्य के पूर्ण एवं त्वरित भुगतान करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गये हैं। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 के अंतर्गत कृषकों को उनकी विक्रय उपज का नगद भुगतान उसी दिन (मंडी में विक्रय संव्यवहार के दिन) किए जाने की अनिवार्यता है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक- 15/05/2019 से एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किसानों के खातों में अधिकतम तीन से पाँच दिवस में भुगतान प्राप्त होने की समयसीमा नियत की गई है। मंडी अधिनियम की धारा 37(2)(ख) के अनुसार विक्रेता को देय कृषि उपज के एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान पाँच दिवस के भीतर करने का प्रावधान है एवं इस अतिरिक्त अवधि में भुगतान का व्यतिक्रम होने पर मंडी अधिनियम की धारा 37(2)(ग) के तहत क्रेता व्यापारी की अनुज्ञप्ति छठवें दिन स्वतः निरस्त हो जाती है। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कृषकों को विक्रय मूल्य का चेक से भुगतान पूर्णतः प्रतिबंधित है।

2. वर्तमान में खरीफ की फसलों की मंडियों में व्यापक आयक हो रही है ऐसी स्थिति में किसानों/विक्रेताओं की उपज का तत्परता से नीलामी द्वारा विक्रय सुनिश्चित करने के साथ ही प्रांगण की अन्य व्यवस्थाओं को भी चाक-चौबंद रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समस्त मंडी सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि मंडी प्रांगण और सौदा-पत्रक के माध्यम से किसानों द्वारा विक्रय की गई उपज का मंडी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया एवं संदर्भित दिशानिर्देशों के अनुसार त्वरित एवं पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जावे। किसानों के विक्रय मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा

देय मंडी फीस की प्राप्ति उपरांत ही उपज की निकासी/परिवहन के अनुज्ञा-पत्र जारी करने पर सतत निगरानी रखी जाकर व्यापारी द्वारा घोषित क्षमता अनुसार ही खरीदी सुनिश्चित करें।

3. समस्त अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को सूचित करें कि किसानों/ विक्रेताओं द्वारा मंडी व्यवस्था के अंतर्गत बेची गई कृषि उपज का चेक से भुगतान नहीं किया जायेगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यापारी के विरुद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जाएं।

4. वर्तमान में सौदा पत्रक (फार्मगेट एप) के माध्यम से भी विक्रय संव्यवहार हो रहे है जिनमें भी कृषक भुगतान की नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है। इस संबंध में भी उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5. कृषि उपज मंडी समितियों में कृषक भुगतान की प्रक्रिया/व्यवस्था का सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध संसाधनों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

अतः सभी मंडियों में उक्त निर्देशों एवं प्रक्रिया का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये। कृषकों के विक्रय मूल्य का भुगतान अथवा मंडी फीस व्यतिक्रम का प्रकरण प्रकाश में आने पर मंडी सचिव एवं इस कार्य हेतु निर्दिष्ट कर्मचारियो को उत्तरदायी मानकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(जी व्ही रश्मि)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बी-6/नियमन/भुगतान/369/2085 भोपाल दिनांक 13/12/2022

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/ उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा को निर्देशित किया जाता है कि कृषकों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार तथा नियत समय सीमा में भुगतान एवं मंडी फीस की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सतत मॉनिटरिंग की जाये। कृषक का भुगतान अथवा मंडी फीस व्यतिक्रम का प्रकरण प्रकाश में आने पर ऑचलिक अधिकारी भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे। ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/नगद भुगतान/369/II पार्ट/2024/107 भोपाल, दिनांक 20/5/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)।

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
______ जिला - ______ (समस्त)।

विषय - कृषकों को उनकी कृषि उपज का पूर्ण एवं त्वरित भुगतान करने के संबंध मे।

संदर्भ - कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नियमन/भुगतान/369/2084 दिनांक 13.12.2022।

कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के मूल्य का पूर्ण एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराना कृषि उपज मंडियों की स्थापना के उद्देश्य में सम्मिलित है। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम [illegible] की *धारा 17(2)(सात), धारा 17(2)(तेरह)(क), धारा 37(2)* तथा मंडी समितियों के लिए उपविधि 2000 अंतर्गत उपविधि कंडिका *17(4)*, कंडिका *17(5)* मे इसके लिए स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित है।

2. इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न पत्रों के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसी संबंध में जारी संदर्भित पत्र का भी अवलोकन करें।

3. विक्रेता कृषक को नगद एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान की प्रक्रिया एवं प्रावधान पूर्णरूपेण स्पष्ट है।

4. किंतु भुगतान के इन प्रावधानों का पूर्णतः पालन कृषि उपज मंडियों में नहीं होना संज्ञान में आता रहा है जिससे कृषक भुगतान व्यतिक्रम के प्रकरण प्रकाश में आ रहे है। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कृषि उपज मंडी समितियों में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए -

4.1. **क्रेता व्यापारी से विक्रेता/ कृषक को निर्धारित समय-सीमा में नगद भुगतान एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।**

4.2. **मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण में हुए प्रवेश, अनुबंध, तौल, भुगतान का दैनिक रूप से मिलान सुनिश्चित कराया जाए।**
जारी अनुबंध की तुलना में भुगतान पत्रकों की अप्राप्ति की स्थिति को गंभीरता से लिया जाए।

4.3 **क्रेता व्यापारी द्वारा मंडी समिति के कार्यालय में भुगतान पत्रकों की निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुति सुनिश्चित कराई जाए ।**
इसमें विलंब होने पर संबंधित व्यापारी को आगामी व्यापार हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, संबंधित क्रेता व्यापारी की ई-अनुज्ञा आईडी, स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए डिएक्टिव की जाएगी।

4.4 **विक्रेता/ कृषकों को नगद भुगतान एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान हो जाना सुनिश्चित कर लेने के उपरांत ही ई-अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रकों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए।**

तदुपरांत मंडी शोध्यों का भुगतान सुनिश्चित कर ही कृषि उपज निकासी/ ई-अनुज्ञा की अनुमति दी जाएगी।

4.5 डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से कृषकों को भुगतान की स्थिति में विक्रेता/ कृषक के बैंक खाते का विवरण एवं संव्यवहार के UTR नंबर की पूर्ण प्रविष्टि एवं मिलान करने के उपरांत ही भुगतान पत्रक का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए।

5. आंचलिक अधिकारी तथा संभागीय निरीक्षण दल के द्वारा मंडियों में भ्रमण/ निरीक्षण के दौरान भुगतान व्यवस्था का भी रैंडम तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसमें आंचलिक कार्यालयों के स्तर से सतत समीक्षा भी आवश्यक है।

6. उपरोक्त प्रावधानों एवं निर्देशों के पालन में अभाव में कृषक भुगतान में व्यतिक्रम होने पर आंचलिक अधिकारी यथाशीघ्र निम्न कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे -

6.1 संबंधित कृषक का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान।

6.2 संबंधित व्यापारी पर मंडी समिति के स्तर से प्रतिवंधात्मक/ दंडात्मक कार्यवाही।

6.3 राज्य मंडी बोर्ड सेवा एवं मंडी समिति सेवा के किसी सदस्य की संलिप्तता प्रकाश में आने पर, प्रत्यायोजित प्रशासनिक अधिकारों की सीमा अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ/ मुख्यालय स्तर से कार्यवाही का प्रस्ताव।

7. उक्तानुसार निर्देशों का शब्दशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

19/05/24

(श्रीमन् शुक्ला)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/नगद भुगतान/369/II पार्ट/2024/ 108 भोपाल, दिनांक 20/5/2024

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1) अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय।

2) चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल